आश्विन नवरात्र मेला त्रिलोकपुर – 2025 की दिनांक 14–08–2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही

दिनांक 14 अगस्त 2025 को श्रीमति प्रियंका वर्मा ,भा.प्र.से. ,उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त मन्दिर की अध्यक्षता मे अपराहन् 2.00बजे नाहन स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी को विशेष अतिथि के तौर पर आमन्त्रित किया गया। बैठक में न्यास के सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्यों की उपस्थित रही जिनकी सूची संलग्न है। बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि इस बार मेला आश्विन दिनांक 22 सितम्बर 2025 से 07 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा जिसमें अष्टमी पर्व दिनांक 30 सितम्बर तथा चौदस पर्व दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को है।

सर्वप्रथम श्री राजीव सांख्यान , हि.प्र.से.,एस.डी.एम.नाहन एवम् सयुंक्त आयुक्त,मन्दिर द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त सभी अधिकारियो तथा न्यासियों का अभिनन्दन किया गया तथा निम्नानुसार बैठक की कार्यवाही मदवार प्रारम्भ की गई–

क्रम संख्या	मामला / मद विवरण	चर्चा व निर्णय	
1	कानून व्यवस्था एवम् सुरक्षा	एस.डी.एम.नाहन एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर प्रस्तावित किया गया कि मेला में हजारों यात्रियों के पधारने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा तथा कानून एवम् सुरक्षा व्यवस्था हेतु न्यास संयुक्त रुप से प्रयासरत है। मेला के कुशल संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव रखे गए– 1. सर्वप्रथम मेला क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था व यात्रियों की सुरक्षा हेतु 200 गृह रक्षक जिनमें 200 गृह रक्षकों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में उपस्थित आदेशक गृह रक्षा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि उन्के विभाग के पास लगभग 100 गृह रक्षक ही उपलब्ध करवाए जा सकते हैं तथा लगभग 100 से अधिक गृह रक्षक सरकारी विभागों ,थाना व चौकियों में तैनात हैं यदि न्यास को 200 गृह रक्षक उपलब्ध करवाए जाने हैं तो सरकारी विभागों से 15 दिनों के लिए गृह रक्षक लेने होंगें। इस मद पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित माननीय विधायक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि किसी भी गृह रक्षक को सरकारी डियुटि से वापिस न लिया जाए चुंकि इसे पुलिस प्रशासन द्वारा रोजमर्रा का कानून एवम् सुरक्षा का कार्य प्रभावित होगा। अतः यदि गृह रक्षा विभाग के पास मांग अनुसार कम गृह रक्षक हैं तो न्यास से भुगतान आधार पर अनुभवी निजि सुरक्षा एजेन्सी से ही लिए जाएं	SP Sirmour Commandent Home Guard

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple),
cum-SDM Nahan (H.P.)

		उक्त मद बारे चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित निर्णय लिया गया कि 100 गृहरक्षकों को हि.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों पर नियुक्त करने हेतु तथा 100 निजि सुरक्षा गार्डों को मेला अवधि के लिए अस्थाई आधार पर तैनात करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि पुलिस विभाग द्वारा इस बार भी पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष पुलिस कर्मचारियों को अस्थाई आधार पर तैनात कर दिया जाएगा। मेला के दौरान अत्यधिक भीड़ वाले दिनों जैसे अष्टमी, चौदस व अवकाश दिवसों हेतु विशेष नीति निर्धारण किया जाएगी तथा चैत्र मेला की तरह आगामी मेला से पुर्व पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ अन्तरिम बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें यात्रियों की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए तथा भगदड़ जैसी स्थिति को नियन्त्रित रखने हेतु विशेष एहतियात रखी जाए।	Temple Officer (for Pvt.S.G.)
2	मेला अधिकारियों व मेला डियुटी मैजिस्ट्रेट की अस्थाई नियुक्ति।	मेला के दौरान कानून एवम् सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु रुप से संचालन के दृष्टिगत निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए– 1. एस.डी.एम.नाहन को मुख्य मेला अधिकारी, तहसीलदार नाहन को मेला अधिकारी व मेला पुलिस अधिकारी हेतु डी.एस.पी. नाहन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया जिसे अध्यक्ष महोदया द्वारा सहर्ष अनुमोदित कर दिया गया। इसी प्रकरण में पूर्व मेला के अनुभव अनुसार सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को चार सेक्टरों में विभाजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । मेला क्षेत्र मे गत चैत्र मेला 2025 की तरह चार सेक्टरों का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया जो कि निम्नानुसार है– (a) प्रथम सेक्टर मन्दिर परिसर तथा मुख्य प्रवेश द्वारा से मेला हॉल प्रवेश तक , (b) दूसरा सेक्टर मन्दिर के बाहरी स्थित मुख्य गेट से नीचे की ओर बाजार गेट , निकासी गेट तक व बाजार गेट से कैनोपी शेड शुरु होने के प्वाईट तक , (c) तीसरा सेक्टर कैनोपी शेड शुरु होने के प्वाईट से ध्यानू भगत मन्दिर तक , मुख्य स्वागत द्वार, गोल चक्कर , मेला भण्डारा मैदान व बस पार्किंग तक । (d) चौथा सेक्टर बाईपास मार्ग ,हिमूडा पार्किंग काला अम्ब तक ।	SDM Nahan & Duty Magistrates, Tehsildars Naib Tehsildars Mela Police Officer & Duty Magistrates

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		2. मेला क्षेत्र हेतु निर्धारित उपरोक्त सेक्टरों में जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार व नायब तहसीलदार रैन्क के चार राजस्व अधिकारियों को एक वाहन तथा एक गृह रक्षक सहित मेला डियुटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। डियुटि मैजि0 की तैनाती हेतु राजस्व अधिकारियों की डियुटि सात–सात दिन की अवधि हेतु करने का निर्णय लिया गया। 3. समस्त मेला क्षेत्र की दिन रात निगरानी के लिए यथा आवश्यक कैमरों सहित पुलिस नियन्त्रण में सी.सी.टी.वी. सिस्टम सहित एक कुशल पुलिस अधिकारी की तैनाती करने के का अनुरोध किया गया।	SDM-CUM-JC TEMPLE Temple Officer through Tender
3	आग्नेय–शस्त्रों विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबन्ध।	1. मेला अवधि के दौरान त्रिलोकपुर में आग्नेय–शस्त्रों ,विस्फोटक सामग्री को मेला क्षेत्र में लाने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया जिसे अध्यक्ष महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 2. मेला क्षेत्र में यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काला अम्ब तक मीट–मांस विकेताओं विशेषकर मांस का खुले में विकय पर रोक तथा मद्यपान प्रतिबन्ध रखने का प्रस्ताव रखा गया। उपरोक्त मद का सहर्ष अनुमोदन किया गया तथा जिला दण्डाधिकारी की ओर से प्रतिबन्धों की अधिसूचना जारी करने सम्बन्धित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मन्दिर के प्रवेश द्वार तथा निकासी दोनों स्थानों पर सुरक्षा के लिए मैटल डिटेक्टर की स्थापना के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया ।	DM Sirmour S.H.O. Kala Amb for compliance.
4	काला अम्ब से त्रिलोकपुर तक यातायात नियन्त्रण	कालाअम्ब –त्रिलोकपुर मार्ग पर यातायात के कुशल नियन्त्रण के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ रखे गए – 1. एस.डी.एम, नाहन द्वारा अवगत करवाया गया कि मेला के दौरान त्रिलोकपुर पधारने वाले यात्रियों के वाहनों का आवागमन अत्यधिक बढ़ जाता है जबकि उक्त मार्ग पर औद्योगिक ईकाइयॉ होने के कारण पहले से ही भारी वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक है अतः Traffic Police के माध्यम से निरन्तर गश्त करने व अनाधिकृत वाहन पार्किंग पर नियन्त्रण रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	ASP/DSP S.H.O. Kala-Amb DSP

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		2. मेला पुलिस अधिकारी को कालाअम्ब से मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर तक पूर्ववत एक टैक्सी वाहन न्यास की ओर से उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया। 3. तीन टैक्सी वाहन सात सीटर यात्रियों हेतु व एक वाहन मेला मैजि.हेतु भी प्रस्तावित किया गया। काला अम्ब –त्रिलोकपुर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्व मेला की तरह प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबन्ध प्रस्तावित किया गया। उपरोक्त तीनों मदों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिए गए कि प्रतिबन्धित समय में काला अम्ब–त्रिलोकपुर मार्ग पर कोई भी भारी वाहन न ले जाया जाए जिसकी एस.एच.ओ. कालाअम्ब द्वारा सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए।	Mela Duty Magistrate for compliance.
5	वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था	यात्रियों की भारी संख्या में भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में यात्री वाहनों के आने–जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किए गए – 1. कालाअम्ब–त्रिलोकपुर मार्ग स्थित रुचीरा पेपर मिल्स के सामने के मार्ग का प्रयोग करने हेतु पत्राचार किया जाए। 2. कालाअम्ब–त्रिलोकपुर मार्ग स्थित ग्राम खैरी से टोकासाहिब ग्राम मार्ग का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। 3. त्रिलोकपुर से सैनवाला मार्ग वाया टेडीब्रोटी मार्ग जो कि गत माह वर्षा के कारण प्रभावित हुआ है को लोक निर्माण विभाग द्वारा तुरन्त आवश्यक मुरम्मत आदि कार्य करवाने तथा मेला अवधि में वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। 4. रुचिरा पेपर मिल्स से जाटांवाली ग्राम मार्ग जो नाहन मार्ग की ओर जाता है को भी तुरन्त आवश्यक मुरम्मत कार्य करवाने सहित मेला के दौरान वैकल्पिक मार्ग के रुप में प्रयोग करने का निर्णय लिया गया।	XEN PWD AE TTT

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

6	स्थानीय ग्रामवासियों के वाहनों बारे।	बैठक में उपस्थित गैर सरकारी न्यासियों द्वारा अवगत करवाया गया कि नवरात्र मेला की 15 दिनों की अवधि के दौरान स्थानीय ग्राम वासियों को अपने घरों तक वाहनों को लाने में बहुत अधिक समस्या रहती है। अतः पूर्व मेला की तरह स्थानीय ग्रामवासियों के वाहनों हेतु सुरक्षित निःशुल्क पार्किंग सुविधा सहित निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किए गए– 1. मेला क्षेत्र में विशेष कर जहाँ माता के दर्शनों क लिए यात्रियों की लाईन लग जाती हैं उस क्षेत्र में ग्रामवासियों के वाहनों के आने जाने के लिए प्रातः 8 बजे से रात्री 8 बजे तक प्रतिबन्ध प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा त्रिलोकपुर से प्रतिदिन कालाअम्ब व अन्य क्षेत्रों में आने जाने स्थानीय ग्राम वासियों को बाईपास मार्ग से सुविधा प्रदान करने हेतु तहसीलदार नाहन एवम् मेला अधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया। 2. मेला क्षेत्र में विशेष आपातकालीन परिस्थिति में व दिव्यांग तथा सिनीयर सिटिजन हेतु केवल बाई पास मार्ग से वाहन ले जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया जिस हेतु मौका मैजिस्ट्रेट पूर्व मेला की तरह प्राधिकृत होगें तथा स्वीकृति प्रदान करने का पूर्ण रिकार्ड भी रखने के निर्देश दिए गए। 2 बैठक में प्रधान ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा स्थानीय ग्राम वासियों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं जोकि तहसीलदार नाहन एवम् मन्दिर अधिकारी महोदय से स्वीकृति उपरान्त सुनिश्चत किए जाते हैं।	Mela Officer Mela Duty Magistrate
7	गुमशुदा एवम् पूछताछ कक्ष की स्थापना	एस.डी.एम. नाहन द्वारा अवगत करवाया गया कि मेले के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण बिछड़े यात्रियों के बच्चों तथा वृद्धजनों आदि हेतु एक गुमशुदा एवम् पूछताछ तलाश केन्द्र की स्थापना मन्दिर न्यास की पुरानी सराय में की जाती है। इस बार भी यह केन्द्र सराय के बाहर की ओर स्थित कक्ष में स्थापित की जानी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त पूछताछ केन्द्र का संचालन में लोक सम्पर्क विभाग के स्टॉफ तथा न्यास के द्वारा संयुक्त आधार पर किया जाएगा। उक्त मद बारे जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि मेला से पूर्व समस्त मेला क्षेत्र में साउण्ड सिस्टम स्थापित करवा दिया जाएगा।	DPRO & AE cum Incharge Temple

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

8	कालाअम्ब मार्ग पर स्थित ग्राम खैरी से ग्राम त्रिलोकपुर तक मार्ग मुरम्मत हेतु।	एस.डी.एम. नाहन द्वारा कालाअम्ब –त्रिलोकपुर मार्ग पर तुरन्त आवश्यक मुरम्मत कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए लोकनिर्माण विभाग की सहायक अभियंता को अनुरोध किया गया ,चुंकि यह मार्ग गत माह से निरन्तर वर्षा के कारण बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग स्थित ग्राम खैरी से टोकासाहब ग्राम को भी मेला से पूर्व ठीक करवाने का अनुरोध किया गया। बैठक में उपस्थित श्री आलोक जनवेजा ,सहायक अभियंता लो.नि.वि. द्वारा सूचित किया गया कि उनके विभाग द्वारा मेला से पूर्व तुरन्त आवश्यक मुरम्मत कार्य करवा दिया जाएगा।	A.E. PWD
9	मेले के दौरान डियुटी पर तैनात कर्मचारियों के ठहरने व खान–पान की सुविधा।	1. मेले के दौरान डियुटि पर तैनात समस्त विभागों के कर्मचारियों के ठहरने की सुनियोजित व्यवस्था हेतु पूर्व मेला की तरह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। सहायक अभियंता एवम् मन्दिर प्रभारी सुनिश्चित करेंगें कि न्यास के भवनों अतिरिक्त निजि धर्मशालाओं से लिये गये 10–10 कक्षों का भी उचित आबंटन डियुटि स्टाफ को मेला से पूर्व करवाया जाए । 2. एस.डी.एम. नाहन द्वारा अवगत करवाया गया कि गत मेलों की भांति समस्त विभागों जैसे पुलिस, गृह रक्षा, राजस्व आदि की ओर से तैनात कर्मचारियों तथा मन्दिर न्यास कर्मचारियों सहित अरथाई श्रमिकों आदि लगभग 600 व्यक्तिओं के लिए कैन्टीन की व्यवस्था रखी जाती है जिसका संचालन न्यास द्वारा मन्दिर के निकासी द्वारा के पास स्थित भण्डारा हॉल में किया जाता है।	AM Temple

SDM Nahan-cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		सहायक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व मेला में दानी सज्जन स्वामी गैलेक्सी क0 द्वारा उक्त कैन्टीन के सचांलन हेतु खाद्यान्न सामग्री, दूध व सब्जियों हेतु सेवा दी गई थी जिसे इस बार भी सम्पर्क किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया कि यात्रियों हेतु भण्डारों का संचालन न्यास द्वारा नवनिर्मित भण्डारा शैड में किया जाएगा जिस हेतु पृथकतः मद संख्या 23 में विस्तार से चर्चा की गई।	
10	खाद्यान्न एवम् गैस सिलैण्डरों की आपूर्ति	1. खाद्यान्न एवम् आपूर्ति नियन्त्रक से अनुरोध किया गया कि वह मेला अवधि हेतु खाद्य निरीक्षक तैनात करें जो कि मेला क्षेत्र में चल खान–पान सामग्री की स्टॉलों का निरन्तर निरीक्षण किया जाए। 2. एरिया मैनेजर सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से मेले के दौरान कमर्शियल गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन दिया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि मेला से जुड़े मामलों हेतु सम्बन्धित विभागों को पत्र द्वारा भी अनुरोध किया जाए ताकि समय रहते निर्णयों की सूचना व अनुपालना सुनिश्चित हो सके।	DFSC/ AREA MANAGER CIVIL SUPPLY
11	स्वास्थय व्यवस्था	एस.डी.एम. द्वारा पूर्व मेला की तर्ज पर प्रस्तावित किया गया कि मेला के दौरान यात्रियों की बहुत अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा बूथ तथा आवश्यक स्टॉफ की तैनाती करवाई जानी है। उक्त आशय हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव रखे गए– 1. मेला क्षेत्र में आपातकालीन औषधियों की सुविधा सहित दो प्राथमिक चिकित्सा बूथ चिकित्सक व स्टॉफ सहित प्रस्ताव रखे गए । इस बारे बैठक में उपस्थित बी.एम.ओ. महोदया श्रीमति मोनिशा द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्व मेला की तरह प्राथमिक चिक्तिसा बूथ स्थापित करवाएं जाएंगें तथा एक वाहन मेला क्षेत्र में हर समय तैनात रहेगा।	CMO Sirmaur

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		2. उपरोक्त के अतिरिक्त एक बूथ आयु.डिस्पेंसरी समीप पुरानी सराय भी प्रस्तावित किया गया जिसके द्वारा वर्षभर चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं।	D.A.O. Sirmaur
		उपरोक्त मदों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित दोनों विभागों को आपातकालीन /तुरन्त आवश्यक दवाईयों के कय हेतु 75000रु प्रति विभाग का प्रावधान रखा जाए तथा यथा मांग अनुसार यह राशि जारी की जाएगी।	Temple Officer
		यह भी निर्देश दिए गए कि चैत्र मेला की तरह इस बार भी त्रिलोकपुर में एक एम्ब्युलेंस वाहन तथा एक छोटी अम्ब्युलेंस रेड कास की ओर से दिन रात तैनाती सुनिश्चित की जाएगी जिसका भुगतान पूर्व की भांति न्यास से करने का निर्णय लिया गया।	CMO Sirmour, Memb Secy. Red Cross
12	खाद्य सुरक्षा एवम् गुणवत्ता तथा मापतोल नियन्त्रण।	मेला क्षेत्र में खाने–पीने ,फल ,दुग्ध विकेताओं तथा मिठाई व प्रसाद की गुणवत्ता जांच के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया इसके अतिरिक्त मापतोल नियन्त्रण विभाग से अनुरोध किया गया कि मेला क्षेत्र में विकय हेतु रखे जाने वाले खाद्य तथा अन्य पदार्थों के भार नियन्त्रित हों तथा दुकानदारों द्वारा कोई भी एक्सपायरी डेट का सामान विकय हेतु न रख जाए।	Asstt.Controlle Food Safety & Mela Duty Magistrate
13	सफाई व्यवस्था	एस.डी.एम. नाहन द्वारा अवगत करवाया गया कि मेला क्षेत्र में यात्रियों के निरन्तर आवागमन के कारण 24 घण्टे सफाई की मांग रहती है अतः इस बार भी पूर्व मेला की तर्ज पर सफाई कार्य की निविदाएं आमन्त्रित करने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें मेला से तीन दिन पूर्व तथा मेला समाप्ति के तीन दिन बाद तक भी पूर्ण सफाई हो जाने के ठेकेदार के माध्यम से सफाई कार्य करवाने का प्रस्ताव रखा गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया तथा निर्देश दिएगए कि मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था का संचालन मन्दिर न्यास के सुपरवाईजरों की देखरेख में चारों सेक्टर अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। उपरोक्त मद पर चर्चा के दौरान सफाई कार्य हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किए गए।	AE Temple Supervisors

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		1 पूर्व मेला की तरह हर समय सफाई सुनिश्चित करने हेतु निविदा प्रस्तावित किया गया। सूचित किया गया कि सफाई हेतु पूरे मेला क्षेत्र को चार सेक्टरों में विभाजित किया जायेगा जिसमें मन्दिर परिसर, गलियों, बाजार क्षेत्र व पार्किंग क्षेत्र के साथ काला अम्ब तक मार्ग पर पूर्ण सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। 2 मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में हिमुडा से कय की गई भूमि पार्किंग से कालाअम्ब तक पानी के छिड़काव सहित सफाई कार्य सुनिश्चित करना प्रस्तावित किया गया उक्त मदों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अनुमोदन किया गया। 3 मेला क्षेत्र में पूर्ण सफाई सुनिश्चित करने के आशय से न्यास द्वारा दुकानों की नीलामी आबंटन की अनिवार्य शर्त रखी जाए कि प्रत्येक दुकानदार अपनी–2 दुकान पर डस्टबिन रखें।	AE Temple Supervisors
14	सार्वजनिक सुविधा	1. न्यास के अधीनस्थ समस्त शौचालयों के 24 घण्टे अटेन्डैन्ट सहित यात्रियों की सुविधा के लिए निर्देश दिए गए तथा मेला से पूर्व समय पर तुरन्त आवश्यक मुरम्मत व रखरखाव कार्य करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 2. पार्किंग क्षेत्र व बस स्टेण्ड के समीप अस्थाई शौचालय ईकाईयों का संचालन भी प्रस्तावित किया गया । उपरोक्त दोनो मदो के अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि सभी शौचालय ईकाईयों को मेले से पूर्व तुरन्त आवश्यक मुरम्मत करवा ली जाए तथा शौचालयों में प्रतिदिन हर समय पूर्ण सफाई सुनिश्चित की जाए।	AE Temple Supervisors

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple).
cum-SDM Nahan (H P)

15	क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा	एस.डी.एम. द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मेला क्षेत्र में हर समय पेयजल की निरन्तर सुविधा प्रदान की जाती है जिस हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव चर्चा उपरान्त अनुमोदित किए गए– 1. अवगत करवाया गया कि मेला के दौरान बहुत अधिक भीड़ के कारण मेला क्षेत्र में यात्रियों को माता के दर्शनों हेतु कई घण्टों लाईनों में खड़े रहना पड़ता है अतः पीने के पानी की निरन्तर सुविधा के लिए न्यास के नियमित कर्मचारियों सहित अस्थाई लेबर को शिफ्टों में तैनात करवाया जाए। 2. त्रिलोकपुर क्षेत्र में नियमित जल आपूर्ति हेतु जल शक्ति विभाग से करवाने का अनुरोध किया गया। 3. सहायक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि नवरात्र मेलों के दौरान मेला क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति 4000लीटर के टैंकरों के माध्यम से करवाई जाती है। चर्चा उपरान्त निविदा प्रकिया द्वारा तैनात टैंकरों द्वारा सम्पूर्ण मेला क्षेत्र, भण्डारा शैड के पास दिन–रात पेयजल सुविधा, बाईपास मार्ग व पार्किंग क्षेत्र में पीने की व्यवस्था तथा छिड़काव के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	XEN IPH
16	मन्दिर एवम् मेला क्षेत्र का साज सज्जा एवम् विद्युतीकरण ।	मन्दिर न्यास की ओर से सम्पूर्ण मेला क्षेत्र व न्यास के भवनों व मन्दिरों को सजावटी लाईटों से सुसज्जित करने तथा अस्थाई दुकानों में बिजली आपूर्ति करने हेतु का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया– 1. पूर्व मेला की भांति मेला क्षेत्र में ठेकेदार के माध्यम से अस्थाई दुकानदारों को बिजली आपूर्ति करवाने के लिए निविदाएं आमन्त्रित की जाएगी ताकि दूकानदारों से चार्ज की जाने वाली दरों को नियन्त्रित रखा जा सके। 2. इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र व न्यास के समस्त भवनों में सजावटी लाईटों के माध्यम से साज सज्जा की जाए। तथा हिमुडा भूमि के अतिरिक्त मेला वाहन पार्किंग में भी अस्थाई बिजली आपूर्ति मन्दिर न्यास द्वारा करवाने के निर्देश दिए गए। मेला हेतु वांछित समस्त कार्यों को हि0प्र0वित्त नियम में वर्णित प्रावधानों अनुसार निविदाओं के माध्यम से करवाने के निर्देश दिए गए ।	AE Temple Electricians T.

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

17	मन्दिर परिसर से बाजार गेट व बेरीगेट्स हेतु अस्थाई श्रमिकों को न्यूनतम वेतन आधार पर तैनात करना।	सहायक अभियंता न्यास की मांग अनुसार पूर्व मेला की तरह इस बार भी दिन रात सेवाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए– 1. मन्दिर कर्मियों के कुशल प्रयोग सहित अन्य अतिरिक्त आवश्यक कार्यों जैसे मेला क्षेत्र में बैरिकेडिंग,परिसर में निरन्तर सफाई आदि हेतु तीन शिफ्टों में 60 श्रमिकों की सेवाओं के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मेला में वांछित कार्यों हेतु तैनात सेवादारों को हि.प्र.सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाए। 2. उपरोक्त के अतिरिक्त 10 अस्थाई कर्मी , प्रोफेशनलन स्वीपर कार्य, शौचालयों, इलैक्ट्रिशियन आदि सिविल एजेन्सि हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन भी न्यूनतम मजदूरी दरों अनुसार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि मेला से पूर्व अथवा बाद में यदि अति आवश्यक हो वांछित अस्थाई मजदूर केवल मन्दिर अधिकारी महोदय की स्वीकृति अनुसार ही तैनात किए जाएं तथा मेला उपरान्त समस्त कार्य पूर्ण होने के बाद सभी अस्थाई श्रमिकों की सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी।	Temple Officer & AE TTT
18	नगदी गणना तथा रसीदी दान कार्यों हेतु सरकारी अधिकारी /कर्मचारियों की नियुक्ति।	एस.डी.एम. नाहन द्वारा अवगत करवाया गया कि मेलों के दौरान प्रतिदिन नगदी गणना की जाती है तथा गणना की गई राशि को सीधे गणना कक्ष में बैंक की ओर से उपस्थित कर्मचारियों को गणना समिति तथा पुलिस कर्मचारी की उपस्थिति में सौंपा जाता है । उक्त आशय हेतु पूर्व मेला की तरह निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए– 1 नगदी गणना तथा रसीदी दान कार्यों हेतु मन्दिर अधिकारी अथवा मौका डियुटि मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाए। 2 नगद राशि बैंकर्स द्वारा स्वयम गणना कक्ष से सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में जमा बैंकर्स को सुपुर्द करनी सुनिश्चित की जाए।	TEMPLE OFFICER AM(A)

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		3 नगदी गणना कार्य में पूर्णतः पारदर्शिता हो, अतः प्रतिदिन सहायक प्रबन्धक,मन्दिर प्रभारी व सहायक प्रबन्धक लेखा प्राधिकृत रखने का प्रस्ताव रखा गया जिनके साथ राजस्व /सरकारी विभाग से आठ कर्मचारी, आठ नियमित कर्मचारी न्यास की ओर से तैनात करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही सभी गैर –सरकारी न्यासियों को उपस्थित होने बारे भी अनुरोध किया गया कि वह नवरात्र मेलों के दौरान स्वैच्छिक तौर पर गणना कार्यो आदि हेतु अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान करें। 4 मूल्यवान सामग्री को मनोनीत स्वर्णकार सदस्य की उपस्थित में मोहरबंद कर डबल लॉक अलमीरा में रखा जाए जिसकी सूचना प्रतिदिन सहायक प्रबन्धक लेखा द्वारा उच्च अधिकारियों को देनी सुनिश्चित की जाएगी। यह भी निर्देश दिए गए कि समाचार पत्रों में सूचना हेतु केवल मन्दिर अधिकारी प्राधिकृत रहेगें जो कि डी.पी.आर.ओ. के माध्यम से अधिकृत सूचना समाचार पत्रों हेतु उपलब्ध करवाएंगें। उपरोक्त प्रस्तावों को चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिए गए कि गणना कार्य में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा यदि सम्भव हो तो पूर्व मेला की तरह गणना कक्ष में उपस्थित कर्मचारियों को विशेष युनिफार्म भी उपलब्ध करवाई जाए।	
19	परिवहन सुविधा	1. एस.डी.एम. द्वारा अवगत करवाया गया कि मेलों के दौरान उत्तर भारत विशेषकर हरियाणा स्थित यमूनानगर,अम्बाला,पानीपत,करनाल तथा पंजाब स्थित चण्डीगढ़ व हि.प्र. से यात्रियों का आवागमन होता है। अतः पूर्व मेलों की भांति पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों को पत्राचार द्वारा विशेष बसें लगाने हेतु अनुरोध किया जाए। इसके अतिरिक्त नाहन से विशेष मेला बसें लगवाने का अनुरोध किया गया जिस हेतु बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय प्रबन्धक एच.आर.टी.सी. नाहन द्वारा आश्वासन दिया गया।	RM HRTC

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan

		2. पूर्व चैत्र मेला की तर्ज पर मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर हेतु वृद्धों व बीमार यात्रियों हेतु दो 7 सीटर वाहन, 2 वाहन पुलिस तथा एक टैक्सी वाहन मेला मैजिस्ट्रेट हेतु किराए पर लेना प्रस्तावित किया गया जिसका सहर्ष अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास को दान में प्राप्त वैन का प्रयोग वृद्धों व बीमार यात्रियों हेतु न्यास के चालक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	
20	वाहन पार्किंग	1. एस.डी.एम. नाहन द्वारा प्रस्तावित किया गया कि मेला के दौरान वाहन पार्किंग हेतु पूर्व चैत्र मेला की तरह हिमुडा से क्रय की गई 86 बीघा 8 बीस्वा भूमि का प्रयोग किया जा सकता है जिसे नीलामी प्रक्रिया अपना कर ठेकेदार के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित किया गया त्रिलोकपुर स्थित अन्य भू स्वामियों से भी मेला बस स्टेण्ड के समीप तथा आयु0डिस्पेसंरी के समीप स्थित भूमि किराए पर ली जाए। इस आशय हेतु नीलामी आयोजन से पूर्व मन्दिर अधिकारी सहित सहायक अभियंता न्यास , सहायक प्रबन्धक प्रभारी तथा प्रधान ग्राम पंचायत को नेगोशिएशन हेतु प्राधिकृत करना प्रस्तावित किया गया। 2. यह भी प्रस्तावित किया गया कि समस्त पार्किंग स्थलों पर बिजली व पीने के पानी की सुचारु व्यवस्था मन्दिर न्यास द्वारा करवाई जाए। उपरोक्त प्रस्तावों का चर्चा उपरान्त सहर्ष अनुमोदन दिया गया तथा निर्देश दिए गए कि व्यापक स्तर पर प्रचार द्वारा नीलामी प्रक्रिया अमल में लाई जाए।	Temple Officer & AE TTT, Pradhan Gram Panchayat Trilokpur
21	आपातकालीन सेवाएं	एस.डी.एम. द्वारा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत मेला क्षेत्र मे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए– (i) मेला क्षेत्र में 24 घण्टे केन वाहन निविदा प्रकिया द्वारा किराए पर लेने का निर्णय लिया गया। चर्चा उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिए गए कि उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक औपचारिकताएं व आदेशक गृह रक्षा से पत्र व्यवहार शीघ्र कर लिया जाए।	CMO Commddt. Home Guards

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple).
cum-SDM Nahan (H.P.)

22	मेले के दौरान पहाड़ी वाद्यदलों द्वारा कार्यक्रम	बैठक में अवगत करवाया गया कि नवरात्र मेला की पन्द्रह दिनों की अवधि हेतु पहाडी वाद्यदलों को आमन्त्रित करने की प्रथा 2007 से ही शुरू हुई थी । मन्दिर के अपने पारम्परिक बजन्तरी है जिस स्थान पर (मन्दिर परिसर में) उक्त वाद्यदलों को बैठाया जाता था वहां न्यास द्वारा माता के स्वरूप के साथ Selfie Point स्थापित कर दिया गया है। अतः इन वाद्यदलों को परिसर से हटा कर शिव मन्दिर में बैठाया जाना प्रस्तावित किया गया। यह भी सूचित किया गया कि परिसर में उक्त वाद्यदलों के कारण न्यासियों तथा गणना कक्ष तथा कर्मचारियों से शिकायत भी आ रही है कि ध्वनि प्रदूषण व न्यास को आर्थिक नुक्सान भी हो रहा है। गैर सरकारी न्यासी श्री दलबीर सिंह द्वारा सूचित किया गया कि उक्त दलों द्वारा लगातार पहाड़ी वाद्ययंत्रों को बजाने के कारण पब्लिक एडरेस सिस्टम द्वारा गुमशुदा की अनाउसमेंट भी सुन नही पाते। अतः इसे अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। उपरोक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा जिला भाषा अधिकारी को अनुरोध किया गया कि यदि वाद्य दल शिव मन्दिर में बैठने हेतु सहमत हों तो ही उन्हे आमन्त्रित किया जाए अन्यथा नहीं।	DLO Nahan
23	भण्डारा व्यवस्था	1. सहायक अभियंता श्री विजय पाल द्वारा अवगत करवाया गया कि भण्डारा शेड का प्रयोग यात्रियों के सौजन्य से भण्डारों के आयोजन हेतु किया जाएगा जिसमें 5000रु प्रति भण्डारा ब्लॉक बतौर किराया सफाई व रखरखाव हेतु प्रस्तावित है। यह भी सूचित किया गया कि इस पांच भण्डारा ब्लॉक को समस्त सुविधाओं सहित सुसज्जित कर उपलब्ध करवाया जाएगा।उक्त प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिए गए कि भण्डारों के वितरण में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। 2. एस.डी.एम. महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा गत मेला से पूर्व पर्याप्त संख्या में कुर्सियों का कय कर लिया गया था अतः इस बार भण्डारा ब्लॉक व अन्य स्थलों हेतु कुर्सियों को किराए पर लेने की आवश्यकता नही होगी। भण्डारा ब्लॉक में पूर्णतः सफाई सुनिश्चित करने हेतु हर समय सफाई कर्मचारी तैनात रखे जाएंगें।	Temple Officer & Food Safety Officer

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)
Joint Commissioner (Temple),
cum-SDM Nahan (H.P.)

24	मेला क्षेत्र में अस्थाई दुकानों की नीलामी कार्य	सहायक अभियंता द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा समस्त ग्राम में सफाई तथा बिजली तथा पेयजल व्यवस्था स्वयम् की जाती है तथा अवगत करवाया गया कि गत चैत्र मेला 2025 में अस्थाई दुकानों से लगभग 19 लाख रु की प्राप्तियॉ रहीं है। अतः मन्दिर न्यास के स्वामित्व की भूमि पर अस्थाई दुकानों की नीलामी न्यास द्वारा करवानी प्रस्तावित है जिसमें तहसीलदार नाहन की अध्यक्षता में सहायक अभियंता , सहायक प्रबन्धक मन्दिर, अधीक्षक सहित दो गैर सरकारी सदस्य शामिल कर कार्यवाही करनी प्रस्तावित की गई। उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया	Temple Officer, AM Temple Supdtt.-II
25	शिव मन्दिर के पास मन्दिर न्यास की जमीन पर पूरे वर्ष के लिए रेहडी व फडी के ठेके बारे ।	बैठक में गैर सरकार सदस्यों द्वारा अवगत करवाया गया कि शिव मन्दिर के पास मेला के दौरान कुछ लोग रेहडी/फडी लगाते हैं जोकि मेला के बाद जगह खाली नहीं करते और चूंकि वह भूमि मन्दिर न्यास की है । अतः प्रस्तावित किया जाता है कि इन दुकानदारों को रेहडी लगाने हेतु वर्ष भर के लिए भूमि ठेके पर दे दी जाये। उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि मन्दिर न्यास की शिव मन्दिर के समीप स्थित पटड़ी जहॉ मेलों के दौरान अस्थाई दुकाने दी जाती हैं पर स्थायी दुकानों के निर्माण बारे भी प्राकलन तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं।	Temple Officer, AM Temple Supdtt.-II

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी अधिकारियों व सदस्यों से अनुरोध किया गया कि बैठक में लिए गए निर्णयों के कियान्वयन की मेला से पूर्व भी समीक्षा की जाए ताकि यात्रियों को बेहतर मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध करवाई जा सके।

माननीय विधायक महोदय द्वारा समस्त न्यासियों का आवाहन् किया गया कि न्यास द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों में सकिय रुप से भागीदारी दी जाए तथा बैठक में लिए गए निर्णयों की मौका पर अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

(प्रियंका वर्मा)भा.प्र.से.
उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त मन्दिर
स्थित नाहन

DC Sirmour-Cum-
Commissioner

क्रमांक –म.आ. / त्रि.म.न्यास / चैत्र नवरात्र बैठक– /2024–2176 दिनांक 25-8-25

प्रतिलिपि सेवा में,

1.मुख्य आयुक्त मन्दिर भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग स्थित शिमला,हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

2.अतिरिक्त मुख्य आयुक्त एवम् निदेशक ,भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग शिमला को सूचनार्थ प्रेषित।

3.एस.डी.एम.नाहन /समस्त न्यासियों व अधिकारियों को सूचनार्थ व यथानिर्णय अनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

4.तहसीलदार नाहन मन्दिर अधिकारी को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित।

5.सहायक अभियंता मन्दिर न्यास , सहायक प्रबन्धक,लेखा व अधीक्षक तथा वरिष्ठ सहायक मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर को बैठक में मदों अनुसार लिए गए निर्णयों की अनुपालनार्थ प्रेषित।

6.गार्ड फाईल /समस्त विभागों को ईमेल द्वारा प्रेषित करनी सुनिश्चित की जाए।

उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त मन्दिर स्थित नाहन

DC Sirmour-Cum-
Commissioner
Trilokpur Temple Trust

SDM Nahan cum Joint Commissioner (Temple)